

कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायालय, सवाई माधोपुर

क्रमांक : लेखा / 2023 / 489

दिनांक : 27/2/2023

नीलामी-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय एवं जिले के अधीनस्थ न्यायालयों के नाकारा/अप्रचलित/अनुपयोगी आई.टी. ईक्यूपमेन्ट जिसका पुस्तक मूल्य 11,96,795 रुपये है, की नीलामी दिनांक 14.03.2023 को अपराह्न 03:00 बजे से जिला न्यायालय परिसर में की जावेगी। अमानता राशि 10000 रुपये जमा कराकर कोई भी व्यक्ति जो जी.एस.टी. के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, नीलामी में भाग ले सकेगा। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्यालय समय में कार्यालय की लेखाशाखा/कम्प्यूटरशाखा तथा ऑनलाईन जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/sawaimadhapur> पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष

नाकारा अनुपयोगी-IT EQUIPMENT
निस्तारण कमेटी- जिला न्यायालय,
सवाई माधोपुर।

क्रमांक : लेखा / 2023 / 490-492

दिनांक : 27/2/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को विभागीय वेबसाईट <http://districts.ecourt.gov.in/sawaimadhapur> पर एवं अन्य जिलों की कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
3. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना का निःशुल्क प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाने का श्रम करावे।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/अधीनस्थ न्यायालय (समस्त), जिला सवाई माधोपुर।
5. नोटिस बोर्ड जिला कलेक्ट्रेट, नगर परिषद्, सवाई माधोपुर, गंगपुर सिटी।


नाकारा अनुपयोगी-IT EQUIPMENT
निस्तारण कमेटी- जिला न्यायालय,
सवाई माधोपुर।

कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायालय, सवाई माधोपुर

नाकारा अनुपयोगी- कम्प्यूटर हार्डवेयर सामग्री निस्तारण कमेटी-

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी हेतु चयनित आर्टिकल्स की नीलामी में इच्छुक जी.एस.टी. में पंजीकृत फर्म/व्यक्ति 10000 रुपये जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते।
2. नीलामी बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन/पहचान-पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. नीलामी हेतु समस्त सामग्री को मौके पर नीलामी प्रारम्भ करने से पूर्व देखा जा सकेगा।
4. नीलामी हेतु चयनित आर्टिकल्स (सामग्री) हेतु नियत न्यूनतम सरकारी बोली से कम बोली स्वीकार नहीं होगी।
5. बोली स्थगित या रद्द करने का अन्तिम निर्णय अध्यक्ष नाकारा अनुपयोगी आई.टी. ईक्यूपमेन्ट निस्तारण कमेटी का होगा।
6. सफल बोलीदाता को सामग्री 03 कार्य दिवस के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. सफल बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण राशि कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् ही सामग्री का उठाव किया जा सकेगा।
8. सामग्री पर लगने वाली जी.एस.टी. जमा कराने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा नियमानुसार जी.एस.टी. जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
9. अन्य जो भी शर्तें होगी मौके पर बता दी जावेगी।


अध्यक्ष

नाकारा अनुपयोगी-IT EQUIPMENT
निस्तारण कमेटी- जिला न्यायालय,
सवाई माधोपुर।